हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/4/25 आज पत्रावली आर्थी हरमनसिंह बनाम प्रतिपक्षीगण अन्तर्गत आदेश 23 R. एवं धारा 151 सी.पी.सी. पक्ष के उत्तर पर पेश हेतु में लगी। आर्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र आगामी पेशी दिनांक 30.4.2025 को करते हैं। आर्थी प्रकरण में पक्ष करने के अधिकारी के सुरक्षित रखते प्रकरण की कार्यवाही में पूर्ण पक्षकारी सिद्ध करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आर्थी अधिवक्ता के कथनों का अवलोकन किया गया। आदेश 23 R. एवं धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर ORO objection किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आगे पक्षकारों को कोई औचित्य नहीं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया। पक्षकारों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए निर्णय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर कार्यवाही के क्रम में। सर्वदा सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested